यालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) निवाई जिला टोंक

(डा.नीलम मीणा आर.ए.एस. सहायक कलेक्टर(फास्ट ट्रेक)निवाई द्वारा अध्यासित)

NO. :–2020/00059
संख्या :–06/2020
दिनांक:–10.05.2022

उनवान

1. मोहनलाल उर्फ पप्पू पुत्र स्व0 गौरी शंकर निवासी झिलाय तहसील निवाई जिला टोंक

बनाम –वादी

1. दामोदर पुत्र स्व0 गौरी शंकर निवासी झिलाय तह0 निवाई जिला टोंक राज0
2. कैलाश पुत्र स्व0 गौरी शंकर निवासी झिलाय तह0 निवाई जिला टोंक राज0
3. तहसीलदार निवाई जिला टोंक राज.

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत दुरूस्ती इन्द्राज, उद्घोषणा

उपस्थितः–1. श्री महेश शर्मा, अधिवक्ता वादी।
2. श्री रवि कुमार जैन, अधिवक्ता प्रतिवादीगण।

निर्णय

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र के तथ्य संक्षिप्त मे निम्न प्रकार है:–

यह कि आराजी कृषि भूमि ख.नं. 508/3 रकबा 04 बीघा 10 बिस्वा, ख.न. 508/6 रकबा 01 बीघा 10 बिस्वा कुल किता 02 कुल रकबा 02 बीघा वाके ग्राम अणतपुरा पटवार हल्का तह0 निवाई जिला टोंक में स्थित है। जो की वादी एवं प्रतिवादीगण की सयुंक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि है। वादी का घर में बोलता नाम पप्पू है। जबकि रिकार्ड तथा समस्त दस्तावेजात में नाम मोहनलाल है।

वादी एवं प्रतिवादीगण के पिता स्व0 श्री गौरी शंकर का स्वर्गवास होने के पश्चात फोती नामान्तकरण वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम भरा गया। उक्त फोती नामान्तकरण में वादी का नाम अपने भाइयों ने बोलते नाम के आधार पर हल्का पटवारी को मोहनलाल के स्थान पर पप्पू अंकित करवा दिया गया। जबकि वादी के सम्पूर्ण दस्तावेजात मे नाम मोहनलाल अंकित है। हल्का पटवारी द्वारा सहवनवश एवं त्रुटिवश उक्त बोलता नाम पप्पू से नामान्तकरण तस्दीक कर अंकन जमाबन्दी में कर दिया गया। जिसकी जानकारी वादी को अपने हिस्से की भूमि पर के0सी0सी0 लेने हेतु जमाबन्दी निकलवाने पर मालूम हुई। जबकि वादी का असल नाम मोहनलाल है एवं पप्पू घर पर बोलता नाम है।

वादी का सहवनवश व त्रुटिवश नामान्तकरण एवं जमाबन्दी में नाम मोहनलाल के स्थान पर पप्पू अंकित हो जाने के कारण वादी को काफी परेशानियों के साथ ही अपने हिस्से की भूमि का उपयोग एवं उपभोग करने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अतः वादी का नाम नामान्तकरण एवं जमाबन्दी में पप्पू के स्थान पर मोहनलाल दुरुस्त किया जाकर इसी प्रकार की उद्घोषणा तथा राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में अमल दरामद करवाया जावें।

सहायक कलेक्टर
(फास्ट-ट्रेक) निवाई

Scanned with OKEN Scanner

वाद दर्ज रजिस्टर कर तलबी प्रतिवादीगण की गई। प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री रवि कुमार जैन द्वारा वकालतनामा, इकबालिया जवाब दावा एवं शपथ पत्र पेश किया गया। जिसके अनुसार प्रतिवादीगण के भाई/वादी का बोलता नाम पप्पू भी है। इसी कारण सहवनवश व भूलवश नामान्तकरण भरते समय वादी का नाम मोहनलाल के स्थान पर पप्पू अंकित कर दिया गया, मोहनलाल तथा पप्पू एक ही व्यक्ति है। अतः जमाबन्दी में वादी का नाम पप्पू के स्थान पर मोहनलाल दुरूस्त किये जाने से प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नही है।

बहस अधिवक्तागण उभय पक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस हमने पत्रावली के साथ संलग्न दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। पत्रावली के साथ संलग्न जमाबन्दी ग्राम अणतपुरा संवत 2072—75 के अनुसार, भूमि वादग्रस्त दामोदर, कैलाश, पप्पु पिता गौरीशंकर कौम ब्राहम्ण के नाम दर्ज है। वादी द्वारा प्रस्तुत राशन कार्ड तथा मतदाता पहचान पत्र में वादी का नाम मोहन पुत्र गौरी शंकर दर्ज है। जिसकी ताईद प्रतिवादी सं. 1 व 2 जो कि वादी के भाई है, के द्वारा प्रस्तुत इकबाली जवाबदावा तथा बयानात से होती है। उपरोक्त तथ्यों की पुष्टि संलग्न प्रमाण पत्र सरपंच ग्राम पंचायत झिलाय द्वारा भी होती है। जिसमें बताया गया है कि मोहन लाल व पप्पु एक ही व्यक्ति है। जिसका वास्तविक नाम मोहन लाल शर्मा तथा घर पर बोलता नाम पप्पु है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वाद वादी की पुष्टि होती है। अतः दावा वादी डिकी किया जाकर राजस्व रिकार्ड में पप्पु पिता गौरी शंकर के स्थान पर मोहन लाल पुत्र गौरी शंकर दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक **10.05.2022** को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

10/5/22

(डॉ0 नीलम मीणा)
सहायक कलेक्टर(फास्ट ट्रेक)
निवाई

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय सहायक कलेक्टर(फास्ट ट्रेक) निवाई जिला टोंक

(डॉ. नीलम मीणा, आर.ए.एस. सहायक कलेक्टर(फास्ट ट्रेक) निवाई द्वारा अध्यासित)

(डिकी मुकदमा इब्तदाई)

दावा संख्याः– 06/2020

निर्णय दिनांकः–10.05.2022

उनवान

मोहनलाल उर्फ पप्पू बनाम दामोदर वगै0

दावा बाबत दुरूस्ती इन्द्राज, उद्घोषणा

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू डॉ. नीलम मीणा ब हाजरी श्री महेश शर्मा, वकील वादी व श्री रवि कुमार जैन, वकील प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्दई पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि ग्राम ललवाडी तह0 निवाई की जमाबन्दी संवत् 2071–74 के ख.नं. 508/3 व 508/6 के वाद में भुमि वादग्रस्त दामोदर, कैलाश, पप्पु पिता गौरीशंकर कौम ब्राहम्ण के नाम दर्ज है। वादी द्वारा प्रस्तुत राशन कार्ड तथा मतदाता पहचान पत्र में वादी का नाम मोहन पुत्र गौरी शंकर दर्ज है। जिसकी ताईद प्रतिवादी सं. 1 व 2 जो कि वादी के भाई है के द्वारा प्रस्तुत इकबाली जवाबदावा तथा बयानात से होती है तथा उक्त तथ्यों की पुष्टि संलग्न प्रमाण पत्र सरपंच ग्राम पंचायत झिलाय द्वारा भी होती है। जिसका वास्तविक नाम मोहन लाल शर्मा तथा घर पर बोलता नाम पप्पु है। उक्त तथ्यों के अनुसार राजस्व रिकार्ड में पप्पु पिता गौरी शंकर के स्थान पर मोहन लाल पुत्र गौरी शंकर दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते है।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 10 माह 05 सन् 2022 को जारी की गई।

10/5/22

सहायक कलेक्टर

(फास्ट ट्रेक), निवाई